VOL- VII | ISSUE- VII | JULY | 2020 | PEER REVIEW e-JOURNAL | IMPACT FACTOR 6.293 | ISSN 2349-638x

एक राष्ट्र एक चुनाव

प्रा.डॉ. रत्नाकर बाबुराव लक्षटे
विभागाध्यक्ष तथा सहयोगी प्राध्यापक
स्नातक एंव स्नातकोत्तर राजनीति विभाग
देगलूर महाविद्यालय देगलूर

सारांश (Abstract) :

यह शोध लेख एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है ? इससे जुडी भारत कि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी , यह विचार किस प्रकार भारत के संसाधानो कि बचत कर नई चुनावी व्यवस्था का निर्माण करणे हेतू उपयुक्त है । साथ हि इसके क्रीयान्वयन मे क्या पेचीद्गीया है ? इन सब कि संक्षिप्त रुपमे जानकारी देणे का काम करेगा ।

कीवर्ड : एक राष्ट्र एक चुनाव , लोकतंत्र ,चुनाव आयोग, राजनीतिक दल , राजनीतिक

1. प्रस्तावना :

चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है , खासकर भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में । क्योंकी भारत दुनिया का सबसे बडा लोकतांत्रिक देश है । इस देश मे आजादी के बाद से चुनावी प्रक्रिया में संशोधन करने कि प्रक्रिया का प्रारंभ हुवा है. पिचले 07 दशक मे चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शक , निष्पक्ष और सुचारू बनाने हेतू अनेक प्रयास और संशोधन हुये है । वर्तमान में चुनावी प्रक्रिया में संशोधन कर एक नई चुनावी व्यवस्था का निर्माण करने से संबंधित चर्चा पुरे देश मे हो रही है । इस शोध लेख मे उसी विषय से संबंधित अंग और चर्चा को स्पष्ट करणे का प्रयास किया है । वह विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव ।

भारत मे चुनाव के माध्यम जनता अपने प्रतिनिधी को मतदान कि सहायतासे चुनती है । जनप्रतिनिधी को चुनने कि यह रिती इस देश मे पिचले सात दशको से चली आ रही है । इस पद्धती मे अनेक खामिया है. इन खामियो को दूर कर एक नई चुनावी व्यवस्था का संचालन और निर्माण करणे का प्रयास एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से हो सकता है , ऐसा विचार करनेवाला एक वर्ग इस देश मे है । इनका कहना है कि , वर्तमान चुनावी व्यवस्था मे राजनीतिक दल , चुनाव आयोग अपना समय , धन आदि को अधिक मात्रा मे व्यय करते है. साथ हि हमेशा होनेवाले चुनाव मे शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था ठप्प होती है ।

2. शोध लेख के ध्येय :

यह शोध लेख निम्न ध्येयो को प्रमाण मानकर लिखा है । एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है ? एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित भारत के इतिहास को स्पष्ट करना. एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष और विरोध मे हो रहे बहस को समझना । एक राष्ट्र एक चुनाव मे क्या रोढे है ? आदि मुद्दे इस शोध लेख से स्पष्ट होंगे ।

3. अनुसंधान पद्धती :

इस शोध लेख को पूर्ण करणे हेतू सहायक डेटा द्वितीय है एक राष्ट्र एक चुनाव इस विषय पर प्रकाशित समाचार पत्र , संदर्भ ग्रंथ आदि मे प्रकाशित साहित्य के आधार पर यह शोध लेख आधारित है ।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद,नई दिल्ली कि और से प्राप्त इस अनुसंधान शोध प्रकल्प मे अबतक परियोजना निदेशक और उसकी पुरी टीम ने जो डेटा संकलित किया उस पर आधारित यह शोध लेख है ।

4. एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है ?

एक राष्ट्र एक चुनाव भारत मे स्थित सभी राज्यो , केंद्रशासित प्रदेशो के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करना । याने यह सभी चुनाव 05 साल मे एक बार हि हो. या यु कहे भारत को मध्यावती चुनाव और हमेशा होणेवाले से मुक्त करना । इसी विचार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के राजनीतिक दल समर्थन कर रहे है ।

5. एक राष्ट्र एक चुनाव का इतिहास :

भारत मे एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार पूर्णता नया है , ऐसा अगर आप सोचते है तो वह गलत है । क्योंकी इस देश मे आजादी के बाद 1952,1957,1962, 1967 मे हुये सभी राज्यो के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हि हुये थे । इससे यह ज्ञात होता है कि देश कि शासन , प्रशासनिक और अन्य सभी यंत्रणा को एक राष्ट्र एक चुनाव का अनुभव है । वर्तमान मे भाजपा और उसके अन्य सहयोगी दल जो एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते है , वह सिर्फ एक राष्ट्र एक चुनाव कि चर्चा कर रहे है । बल्की कॉग्रेस ने उसे आजादी के बाद दो दशक इस देश मे चलाया है ।

1967 के आम चुनाव के बाद भारत मे एक नया राजनीतिक दौर शुरू हुआ. इसमे 1968-69 मे अनेक राज्यो के विधानसभा समय से पहले बरखास्त कर दिये । इसमे अधिकतर गैर कॉग्रेस शासित राज्य , या कॉग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को विरोध करनेवाले कॉग्रेस शासित राज्यो का भी समावेश है । राजनीतिक स्वार्थवाद , नेतृत्ववाद , विरोधियो का खात्मा करणे के राजनीति का उदय आदि के कारण देश मे एक राष्ट्र एक चुनाव कि प्रक्रिया को खंडित कर निरंतर चुनाव या मध्यावती चुनाव को अपनाया गया । जिससे अलोकतांत्रिक , असंवैधानिक कवायतो मे बढोतरी हुई.

भारत के राजनीतिक पटल पर पिचले सात दशक से एक राष्ट्र एक चुनाव कि चर्चा हो रही है । पंडित नेहरू , लालकृष्ण अडवाणी ,अटलबिहारी वाजपायी आदि ने इसका समर्थन किया । 1983 मे चुनाव आयोग , 1999 मे विधि आयोग ने भी और अनेक संसदीय समितियो ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है । इससे यह ज्ञात होता है कि , यह विषय भारत के राजनीतिक गलियारीयों मे शुरू से हि चर्चा मे है । वर्तमान मे इसे सिर्फ नरेंद्र मादी ने सुर्खियो मे लाया है ।

6. एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष मे तर्क :

अनेक विद्वत जन एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन मे निम्न मुद्दो को रखते है । इनका कहना है कि इससे सरकार मे स्थिरता आएगी , जिससे सरकार को अधिक समय मिलेगा सरकारी मशनरी को चलाणे मे . सरकार के सभी मंत्री , प्रशासन आदि का ध्यान जनकल्याण कि और रहेगा ना कि अगले चुनाव पे. सरकारी सभी यंत्रणा विकास से संबंधित योजना के क्रियान्वयन पे ध्यान देगी । देश से राजनीतिक अस्थिरता कि बिमारी हमेशा के लिये खात्म होगी । क्योंकी राजनीतिक अस्थिरता असंवैधानिक ओर अलोकतांत्रिक है । राजनीतिक अस्थिरता जनता के जनमत का अनादर करणे कि खुली आजादी राजनीतिक नेता और उनके दल को देती है । सरकारी अफसर के तबादले कि प्रक्रिया खंडित होगी । अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के दरम्यान सभी सत्ताधारी राजनीतिक दल प्रशासनिक

अधिकारियो के तबादले करते है । अपने विचार ,नीति को बढावा देणे वाले अधिकारी एक राज्य से अन्य राज्यो मे बदल दिये जाते है । झी न्यूझ को दिये हुये अपने साक्षात्कार मे खुद नरेंद्र मोदी ने इस बात कि पुष्टी कि है । एक राष्ट्र एक चुनाव से पर्यावरणीय प्रदूषण मे कमी आएगी । खासकर आवाज , हवा आदि के प्रदूषण मे निरंतर के चुनाव से बढोतरी होती है, चुनावी रैलियो का प्रमाण बढने से पर्यावरणीय समस्या निर्माण होते है। चुनाव मे अधिक मात्रा मे पैसा खर्च होता है । निरंतर चुनाव ने चुनाव आयोग ,राजनीतिक दल ,प्रत्याशी आदि के पैसा खर्च करणे के प्रमाण को बढाया है । चुनाव मे होनेवाला खर्च सत्ता कि बागडोर संभालते हि भ्रष्टाचार करके निकाला जाता है । इस कारण चुनाव और भ्रष्टाचार एक समीकरण बन गया है । भ्रष्टाचार तो पूर्ण रूप से बंद नही होगा ,लेकीन उसके प्रमाण को काम करणे का एक राष्ट्र एक चुनाव एक सही कदम है । एक राष्ट्र एक चुनाव के कारण चुनाव पांच साल मे एक बार हि होंगे जिसकारन मतदाता को लुभाने कि कवायते भी कम होगी , जैसे कि मतो कि खरीददारी, मतदाता को कूच रुपये देकर अपने दल या प्रत्याशी को मत करणे के लिये बाध्य करणा । मंदिर , मस्जिद ,मठ के निर्माण को पैसा देना ,शराब , खाना आदि को पैसे देकर मतो को खरीदा जाता है । पैसे कि आड मे राजनेता और राजनीतिक दल अपने अलोकतांत्रिक व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवहार मे रुपांतरीत करते है । राजनेता , राजनीतिक दलो के इस आर्थिक प्रलोभन मे जनता साल मे कई बार फसती है । एक राष्ट्र एक चुनाव से जनता भी चुनावी कवायतो से दूर होकर अपने अपने परिवार ,राष्ट्र ,समाज के हित के बारे मे सोचकर खुद को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा मे कदम बढायेगी.

7. एक राष्ट्र एक चुनाव के विपक्ष मे तर्क :

एक राष्ट्र एक चूनाव का विचार तो अच्छा है लेकीन वह अव्यवहार्य है । ऐसा मन्तव्य इस विचार को विरोध करनेवाले पक्ष कि और से किया जाता है । इनका कहना है कि , भारत जैसे विशाल जनसंख्या और विशाल भौगोलिकता के देश मे यह विचार कदापि सफल नही होगा । इस देश कि सामाजिक, भौगोलिक , सांस्कृतिक विविधता मे यह विचार ठीक नही है । राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण होगा , केंद्र और राज्यो मे एक हि राजनीतिक दल सत्ता मे आयेंगे । राजनीतिक सत्ता की चाबी कूच लोगो के हात मे जायेगी । एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार वास्तवता मे लाने मे अनेक कठीनाईया है । इसमे कूच समस्या संवैधानिक है , संवैधानिक प्रावधान मे संशोधन करना होगा । यह करणे हेतू आवश्यक जनजागर , आवश्यक बहुमत कि आवश्यकता है । जो जुटाना सरकार के लिये त्रासदायक होगा । चुनाव आयोग के पास आवश्यक साधन , कर्मचारी, मशनरी , पैसा आदि कि कमतरता है । इसके हेतू आवश्यक नियोजन , नीति का अभाव है । प्रादेशिक राजनीतिक दल , नये राजनीतिक दल , छोटे राजनीतिक दल , राजनीतिक दलो के राजनीतिक व्यवहार ,आचार आदि के लिये यह विचार हानिकारक है । देश के राजनीति मे राष्ट्रीय राजनीतिक दलो का प्रभाव बढेगा । एक देश एक व्यक्ती , एक व्यक्ती एक विचार ,एक देश एक राजनीतिक दल का निर्माण होगा । एक राष्ट्र एक विचार से देश कि जनता का अनभिज्ञ , अज्ञानी होना भी इसमे एक रोढा है .ईससे राजनीतिक एकाधिकारशाही का निर्माण होगा . जो भारत जैसे लोकतंत्र के लिये घातक है । एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारत को एकाधिकारशाही कि ओर ले जाएगा . एकाधिकारशाही देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र नही बना सकती है । चुनावी

प्रक्रिया को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने मे एक राष्ट्र एक चुनाव अडचण है । एक राष्ट्र एक चुनाव के विपक्ष मे तर्क रखकर इसे विरोध करने मे कॉग्रेस , क्षेत्रीय राजनीतिक दल या यु कहे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ऑ विरोध करणे वाले सभी राजनीतिक दल ,राजनेता , विद्वतजन , लोकतंत्र के प्रहरी इन सभी का समावेश है । इनका कहना है कि वर्तमान मे जिन देशो ने एक राष्ट्र एक चुनाव कि प्रक्रिया को स्वीकारा है उन्मे और भारत के सामाजिक, आर्थिक ,राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिती मे अधिक अंतर है । जनसंख्या और भूगोल कि दृष्टी से वे सभी राष्ट्र भारता से अधिक छोटे है । उनकी और भारत के राजनीतिक व्यवस्था मे अंतर है । लिबिया , उत्तर कोरिया ,चीन , जपान ,दक्षिण आफ्रिका ,इंग्लंड आदि राष्ट्रो मे एक राष्ट्र एक चुनाव कि प्रक्रिया कार्यान्वित है ।

8. निष्कर्ष :

एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के संपूर्ण राज्य व्यवस्था को प्रभावित करनेवाला विचार है । देश के सभी वर्गो को प्रभावित कर नई राजनीतिक सोच को बढानेवाली विचारधारा का निर्माण होगा । इस विचार को समझकर हमे उसके हिसाबसे कूछ महत्वपूर्ण संशोधन संविधान मे करणे होगे । साथ हि सभी राजनीतिक दलो को अपने राजनीतिक हित को बाजू मे रखकर देश हित के बारे सोचना होगा तभी इस व्यवस्था का निर्माण होगा ।

संदर्भ साहित्य :

1. http://oneindiaonepeople.com/one-nation-one-election/
2. https://www.2thepoint.in/possibility-of-one-nation-one-election/
3. http://zeenews.india.com/india/bjps-push-for-one-nation-one-polls-is-a-gimmick-congress-2077288.html
4. http://www.indiafoundation.in/symposium-on-one-nation-one-election-2/
5. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/one-nation-one-poll-needs-many-legislation-cec-op-rawat/articleshow/62628484.cms
6. http://www.uniindia.com/call-for-one-nation-one-election-is-also-jumla-chidambaram/india/news/1122724.html